Concern Over Privatisation of Nagpur Airport

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal) : I draw the attention of the House to the renewed move of the Government to privatise the Nagpur Airport, on the plea of modernisation, in violation of the written commitment of the Civil Aviation Minister dated 4th February, 2006.

The said Ministerial commitment stipulated that the tripartite committee of the Civil Aviation Ministry, the Airports Authority of India and the AAI Employees Joint Forum will look into the issues and proposals of modernising airports by the AAI.

But, after a few meetings, that Committee stopped its work without any conclusion deliberately. Thereafter, the first move has been to curve out Nagpur Airport from the AAI and hand over its control to a joint venture company of Maharashtra Airport Development Corporation with the AAI as a junior partner; the land and assets of the Nagpur Airport will be transferred to the JVC on a 30-year lease with an annual rent of Re. 1/-; all the employees of the Airports Authority of India at Nagpur Airport will be transferred to the Joint Venture Company.

The Airports Authority, despite having all expertise and resources for undertaking modernisation of Nagpur Airport on its own, is being forced to join a joint venture with a partner having the controlling stake, although the AAI's controlling partner in the joint venture have no expertise of airport modernisation. Privatisation is the motive behind such illlogical exercise.

I urge upon the Government and the Civil Aviation Ministry to refrain from such unilateral exercise of curving out Nagpur Airport from the AAI to avoid countrywide industrial unrest in the AAI.

VALEDICTORY REMARKS

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 नवम्बर को आरंभ हुआ 209वां सत्र आज समाप्त होने जा रहा है।

इस सत्र के प्रथम दिवस पर सदन के सदस्य श्री ललित सूरी के दु:खद निधन पर शोक व्यक्त करने के पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। सदन द्वारा भूतपूर्व सदस्य एवं प्रमुख

दलित नेता श्री कांशीराम के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। दिनांक 15 दिसम्बर को सदन की सदस्या श्रीमती सुखबंस कौर, जो कुछ समय से बीमार थीं, के दु:खद निधन का समाचार सुनकर सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। यह सदन दिवंगत सदस्यों की सेवाओं एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा।

दिनांक 13 दिसम्बर को हमने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आतंकवादियों के प्रहार से लोकतंत्र के इस मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों का बलिदान आतंकवाद को चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने में हमारे संकल्प को और भी सशक्त बनाता है।

इस सत्र में श्रीमती सुप्रिया सुले एवं श्री बृज भूषण सदन के नए सदस्य बने हैं। हम उन का स्वागत करते हैं और विश्वास है कि उनके योगदान से सदन की कार्यवाही के स्तर और गरिमा में बढ़ोतरी होगी।

यह सत्र संपादित विधायी कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। कुल मिलाकर 19 विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित किया गया अथवा लौटाया गया। निस्संदेह इन विधेयकों के पारित होने से नीति-निर्धारण तथा लोक शासन में सुधार लाने में अपेक्षित बल मिलेगा। मैं सेंट्रल एजुकेशन (रिजर्वेशन एंड एडमिशन) बिल, 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स (रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) बिल, 2006 और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल, 2004 का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि ये महत्वपूर्ण विधेयक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारी सोच एवं व्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन लाएंगे। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रावधानों की जानकारी हम आम नागरिकों तक पहुंचाएं, तभी कानूनी प्रावधानों का वांछित लाभ संबंधित वर्गों को प्राप्त हो सकेगा और सदन द्वारा की गई विधायी क्रार्यवाही की सार्थकता सही अर्थों में सिद्ध होगी।

संचार क्षेत्र में और अधिक सहजता एवं तीव्रता से विकास को गति देने की दृष्टि से इंडियन टेलीग्राफ (एमेंडमेंट) बिल, 2006 पारित किया गया। सिक्किम, त्रिपुरा एवं अरूणाचल प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भी आवश्यक विधेयक पारित किए गए। मुझे विश्वास है कि दूर-दराज के पिछड़े इलाकों में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक अहम भूमिका निभाएंगे।

इस सत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर मंत्रिगण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिए गए। विदेश मंत्री जी द्वारा चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में वक्तव्य दिया गया। भारत-अमरीका सिविल न्युक्लिअर सहयोग पर भी उनके द्वारा एक वक्तव्य सदन में दिया गया।

माननीय सदस्यगण, आप जन-समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान हेतु सतत्

प्रयत्नशील रहते हैं। इस सत्र में सदन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की गई। भारत-अमेरिका सिविल न्युक्लिअर सहयोग पर भी चर्चा आज की गई। इन महत्वपूर्ण विषयों पर हुई सारगर्भित चर्चा से न केवल शासन लाभान्वित होता है, वरन् लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण मसलों से जुड़े बिंदुओं की समझ जन-साधारण को भी भली-भांति हो जाती है। विशेष उल्लेखों के माध्यम से माननीय सदस्यगण ने अनेक विषयों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया। इस सत्र में लगभग 150 विशेष उल्लेख किए गए। मुझे विश्वास है कि संबंधित मंत्रालय उल्लेखित मसलों पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित कर वांछित जानकारी से संबंधित सदस्यों को यथाशीघ्र अवगत कराएंगे।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र में संपादित हुए कार्य के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि हम सत्र अवधि में और भी अधिक कार्य संपादित करने में सफल हो सकते थे यदि यदा-कदा उत्पन्न होने वाले व्यवधानों से समय व्यर्थ न जाता। समयाभाव के कारण बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चाही गई चर्चा से सदन वंचित रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर अल्पकालिक चर्चा भी पूर्ण नहीं हो सकी। अनेक सदस्य चाहते थे, और बीएसी की बैठकों में हमने निर्णय भी लिए थे कि कृषि एवं कृषकों की समस्याओं से संबंधित स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना पंचायतों की मध्यावधि स्थिति पर प्रस्तुत रिपोर्ट, ''जस्टिस सच्चर रिपोर्ट'' एवं स्पेशल इकॉनोमिक जोन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर भी इस सत्र में चर्चा होनी चाहिए।

मेरा भी सदैव यही मत रहा है कि प्रजातंत्र में संसदीय कार्यवाही की सार्थकता के संदर्भ में यह आवश्यक है कि आम जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में प्रभावी चर्चा सामयिक रूप से हो। अत: मेरा सदैव यही प्रयास रहा है कि हम सदन की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से बिना किसी व्यवधान के सुचारू रुप से चलाएं ताकि उपलब्ध बहुमूल्य समय का सार्थक सदुपयोग किया जा सके। इसी दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों एवं समूहों से मेरा आग्रह रहा है कि विवाद के मसलों को हम आपसी बातचीत से, सामंजस्य की भावना से सुलझा लिया करें और ऐसा समाधान निकालें, जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान से समय व्यर्थ न हो।

माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है और आप सभी का आभार मानता हूं कि बीएसी की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रश्नकाल के पश्चात् अल्पकालीन लोक महत्व के मसलों को सभापति की अनुमति से उठाने की नई व्यवस्था इस सत्र में स्थापित की गई है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दलों एवं समूहों के सकारात्मक सहयोग से यह नई व्यवस्था सफल होगी और इससे सदन का समय, जो अनावश्यक रूप से अभी व्यर्थ हो जाता था, वह अब महत्वपूर्ण कार्य-सम्पादन हेतु सदन को उपलब्ध हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे प्राप्त सहयोग एवं रचनात्मक योगदान के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस सत्र में जो कार्य सम्पादन हुआ और संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए आपसी सोच-समझ, सौहार्द एवं सद्भावना के वातावरण में सदन की कार्यवाही का संचालन हुआ, उसके लिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं।

माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर सदन के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों एवं समूहों के नेतागण और आप सभी के प्रति आपके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं उपसभापति एवं उपसभाध्यक्ष के पैनल के सदस्यगण और सचिवालय के समस्त स्टाफ के प्रति उनके योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

सत्र का अवसान होने से पूर्व मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और क्रिसमस एवं अन्य आने वाले पर्वों तथा अन्य सभी विशिष्ट अवसरों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आने वाला नव वर्ष 2007 आप सभी के लिए शुभ हो, इसके लिए मेरी अनेकानेक मंगलकामनाएं स्वीकार करें।

नेता विरोधी दल (श्री जसवन्त सिंह): चेयरमैन साहब, दिन भी अस्त हो गया, सत्र भी समाप्ति पर है और वर्ष भी समाप्ति पर है। इस सदन में एक निरन्तरता है, इसीलिए नूतनता है। यह सत्र मौसम के बदलते रूप में शुरू हुआ था, कभी गरमी, कभी नरमी, कभी खट्टा, कभी मीठा; थोड़ नुक्ता, थोड़ी चीनी, यह सदन का स्वभाव है। सदन का स्वभाव तो है, राजनीति का भी स्वभाव है। तभी तो कई बार सोचते हैं, रहीम जो कह गए–

"रहिमन गाढ़ी भई काठे दोऊ काम।
सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम।।"

आप कहते हैं कि यहां हम सब नीतिगत चलें। कोशिश होती है, हर बार सफल नहीं होती। एक ही निवेदन करना है कि संसदीय प्रणाली में केवल मेजोरिटी से काम नहीं चलता है, मेजोरिटी को, हम लोगों को भी साथ लेकर चलना है। यह भी सही है कि केवल माइनॉरिटी की हठधर्मिता भी नहीं चल सकती। इसीलिए कहीं थोड़ा नुक्ता और थोड़ी चीनी करके चलें, तो अच्छा है। सत्र भी समाप्त हो जाएगा, दिन अस्त हो जाएगा, आप अपनी-अपनी जगह जाएंगे। आपने जैसे कहा कि यह ग्रेगेरियन साल भी खत्म होगा, बड़ा दिन भी आएगा। इसलिए सबको बड़े दिन की बहुत शुभकामनाएं और क्रिस्तान नए साल 2007 की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हम आने वाले सत्र में, फरवरी में फिर मिलेंगे। हमारे दो सांसद चले गए। साथी थे, यहां हमारे साथ थे। हरेक के जाने का दुख होता है। संसद चलता रहेगा। यह चल नहीं पाता, अगर ये जो कर्मचारी हैं, जो यहां मूक खड़े रहते हैं, देखते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते। हम आपके आभारी हैं कि आपने दिशा-निर्देश दिया। हम सत्ता पक्ष के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी। कुछ सुनी, कुछ अनसुनी कर दी,

ऐसा होता है। मैं आपके जो सभी अफसरान हैं, कर्मचारी हैं, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेतागण हैं, हमारी जो सहयोगी बहन हैं, जो उपनेता हैं, सुषमा जी, उनके प्रति बहुत आभारी हूं। उनके बिना तो मेरा काम चलता नहीं। वे तो अभी नहीं हैं। सब को, आप को और सत्ता पक्ष के सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): श्रीमन्, आपकी तरफ से और विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से हमने इस सदन में किस प्रकार से अपना काम किया, इसका विवरण हम सब लोगों के सामने पेश किया है। संक्षेप में कहना है तो मैं यह कहूंगा कि आपकी भावना के साथ और विरोधी पक्ष के नेता की भावना के साथ हम सब लोग इस सदन में साथ चलेंगे। उन्होंने कहा है कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी नुक्ता, कभी चीनी होती रहती है। यह बात सही है, मगर यह बात भी सही है कि यह होने के पश्चात् भी हम अपने को एक ऊंचे स्तर पर उठा लेते हैं और दूसरे क्यों बोल रहे थे, यह समझ लेते हैं और उसके पश्चात् जो भी अड़चन सदन में निर्मित होती है, उसके लिए रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। यही गरिमा है।

यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की प्रणाली हम बाहर से लाए हैं, बात सही है, वेस्ट मिनस्टर सिस्टम के मुताबिक हम बाहर से लाए हैं, मगर इसके साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि इसकी आत्मा भारतीय है। वह क्या है? वह आत्मा है सहिष्णुता की, वह आत्मा है दूसरों के विचार समझने की, इच्छा की और मन की तैयारी की। कोई लोकतंत्र इस प्रकार के विचार के बिना नहीं चल सकता। सिर्फ ढांचे पर लोकतंत्र नहीं चलता, इस प्रकार के विचार पर लोकतंत्र चलता है और यही बात हमको यहां पर देखने को मिलती है और यही एक गरिमा का विषय है। इस काम में इतने लोग मदद करते हैं, जैसे कि आप तो मार्गदर्शन करते ही हैं, आपके मार्गदर्शन के बिना तो यह सदन चल ही नहीं सकता, आप कभी डराते तो हैं नहीं, मार्गदर्शन करते हैं। कभी-कभी यदि धमकाया-डराया जाता है तो भी इस प्रकार से डराया जाता है जैसे कि एक मां अपने बच्चों को, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को करता है, इस प्रकार से किया जाता है। ऐसे क्षण नहीं आए हैं, मगर आपने जो मार्गदर्शन किया, उसकी वजह से भी हमारा सदन बहुत अच्छी तरह से काम कर सका है। यहां पर बैठने वाले जो सारे अधिकारी भाई हैं, वे हैं तो पर्दे की पीछे, असल में हैं पर्दे के सामने, मगर काम तो पर्दे के पीछे ही करते हैं, कभी अपना मुंह खोलते नहीं हैं। यहां इतनी आवाज ऊंची या नीची होती है, मगर वे कभी अपनी आवाज उसमें शामिल नहीं करते हैं। मगर इन सारी चीजों को समझकर वे भी मार्गदर्शन करते हैं। उनके प्रति भी हम एक प्रकार की अपनी आदर की भावना जरूर व्यक्त करना चाहते हैं।

तीसरे प्रकार के जो साथी हैं, वे ऊपर बैठते हैं, हम क्या करते हैं, वे देखते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं, इसे मन में रखकर हमने क्या बोलना है, वह हम निश्चित करते हैं। इस प्रकार से हम जो बोलते हैं, वैसा वे लिखते हैं, मगर हमारे मन में इस प्रकार की भावना छोड़कर जाते हैं कि अगर गलत बोलेंगे तो हम लिखेंगे और हम लिखेंगे तो लोग आपके खिलाफ हो

जाएंगे, इसलिए समझदारी से कहो। कभी-कभी गलती इधर-उधर हो जाती है, मगर उनका यहां बैठना और लिखना भी बड़े मायने रखता है। यह सारी लोकतंत्र की आत्मा है और इसी के अंदर सारी गरिमा है और मैं समझता हूं कि ऐसे ही हमारा लोकतंत्र चलता रहे, ऐसे ही सहकार होता रहे और खट्टी बात कम जो जाए, मीठी बात ज्यादा हो जाए, काम की बात ज्यादा हो जाए, अड़चन की बात कम हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए, फिर से एक दफा आपके प्रति और सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय गीत।

(The National Song, "Vande Mataram", was then played.)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned sine die at thirty-six minutes past seven of the clock.

MGIPMRND—3881RS—9-1-2008.